Promotion of ITDC properties in overreas inarket through participation in the travel Tarde fore;

Product improvement, etc.

Code for Advertisement

2260. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Consumer Groups have been asking for a code for advertising to guide the advertisers/the advertising companies and the media; and

(b) if so, what steps Government have taken or proposed to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI AJIT PANJA): (a) No, Sir. However, some of the voluntary consumer organisations, at the recent seminar on consumer protection held in New Delhi in January, 1986 suggested that maximum sale price should be indicated in all consumer goods advertis-monts in every media i.e. Air, Door-darshan. Press and that there should be has On advertisements of hazardous goods.

(b) The Government have not laid down any code of advertising for the guidance of advertisers and advertising agencies.

लघु उद्योग क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिलों की स्थापना

2201. **श्री भगतराम मनहर :**
श्री वी० नारायण सामी :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 1982 के वर्ष में गेहूं का अपर्याप्त स्टाक होने के कारण लघु क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार देश में, विशेषकर मध्य प्रदेश में, गेहूं की फसल की विपुलता को देखते हुए प्रतिबंध हटाने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

योजना और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग में क्षमता के कम उपयोग और उस समय गेहूं के उत्पादन और वसूली की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि 24-5-1980 से किसी नई रोलर फ्लोर मिल को स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(ख) और (ग) पहले से विद्यमान क्षमता, उपयोग की वर्तमान मात्रा और जिन जिलों में मिलें नहीं हैं, उनमें प्रस्तावित स्थान, खपत केन्द्रों की निकटता, भविष्य में सम्भावित मांग और अन्य संगत तथ्यों पर निर्भर करते हुए विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रतिदिन तक की क्षमता के सीमित संख्या में नये यूनिट स्थापित करने की इजाजत देने का अब निर्णय किया गया है । राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उन पर आगे विचार करने के लिए 30-4-1986 से पूर्व केन्द्रिय सरकार को भेज दें ।

Drug Traffcking along the Rajasthan.-Punjab boundary

@2262. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the recent haul of narcotics in Talaseri worth over Rs. 9 crores by the Dir-

@ Previously Unstarred Question] 783 transferred from the 13th March» • 1986.